न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :— श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 684/2025

जीसीएमएस नं. :— 2025/837

आरआरसीएमएस नम्बर 202601125600035

प्रार्थीगण :— बनाम अप्रार्थीगण :—

1.मीरमराम पुत्र मुल्तानराम जाति देवासी निवासी देवासियों का बास साथीन तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाडशहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्त दर्ज दिनांक :—18/12/2025

1. रामकिशोर खोज प्रार्थी की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :— 17/04/2026

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन ग्राम साथीन चक द्वितीय पटवार हल्का साथीन द्वितीय भू.अभि.नि. साथीन तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है—

खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
700	858	2.0379 हैक्टयर	चाही
	864	0.0244 हैक्टयर	गै.मु. कुआ
कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.0623 हैक्टयर			

खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
592	297	0.9660 हैक्टयर	बारानी
कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.9660 हैक्टयर			

खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
538	334	2.2307 हैक्टयर	बारानी
कुल खसरा 01 कुल रकबा 2.2307 हैक्टेयर			

खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
350	1643	0.7382 हैक्टयर	बारानी
	2023	1.0913 हैक्टयर	बारानी
	2066	1.4707 हैक्टयर	बारानी
	2076	1.4266 हैक्टयर	बारानी
कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.7268 हैक्टयर			

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन ग्राम साथीन चक प्रथम पटवार हल्का साथीन प्रथम भू.अभि.नि. साथीन तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
869	163	12.6699 हैक्टेयर	बारानी
कुल खसरा 01 कुल रकबा 12.6699 हैक्टेयर			

उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी की नकल जमाबन्दी सर्वे आधार संवत 2081 की संलग्न पेश है। वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है, ग्राम साथीन चक द्वितीय की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 700 खसरा नम्बर 858,864 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.0623 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/50 वां हक व हिस्सा निहित हैं। इसी प्रकार ग्राम साथीन चक द्वितीय की राजस्व सिमा में स्थित वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 592 खसरा नम्बर 297 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.9660 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/10 वां हक वां हक हिस्सा निहित है। इसी प्रकार ग्राम साथीन चक द्वितीय की राजस्व सिमा में स्थित वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 538 खसरा नम्बर 334 कुल खसरा 01 कुल रकबा 2. 2307 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/8 वां हक पर संयुक्त रूप सें साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। इसी प्रकार ग्राम साथीन चक द्वितीय की राजस्व सिमा में स्थित वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 350 खसरा नम्बर 1643, 2023, 2066, 2076 कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.7268 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/6 वां हक व हिस्सा निहित हैं। इसी प्रकार ग्राम साथीन चक प्रथम्र की राजस्व सिमा में स्थित वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 869 खसरा नम्बर 163 कुल खसरा 01 कुल रकबा 12.6699 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/8वां हक व हिस्सा निहित हैं। वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक कानुनन बंटवाडा किया हुआ नही है। यह है कि प्रार्थी अपने हक हिस्सा की जमीन पर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी सें सम्पर्क किया तथा 11/12/2025 कों राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल मांगी इस पर हल्का, पटवारी ने बताया कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सेवन से त्रुटिवंश विरमगराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, जन–आधार कॉर्ड, राशन कार्ड पहचान पत्र, व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम भीरमराम दर्ज है लेकिन राजस्व रेकार्ड वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम बीरमराम राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवंश गलत रूप से इन्द्राज कर दिया, इसलिए राजस्व रेकर्ड दुरस्त करवाया जाकर जमांबदी में बीरमराम के स्थान पर भीरमराम इन्द्राज किया जानें का आदेश फरमावें। प्रार्थी ने उक्त दुरुस्ती अप्रार्थी सें करने हेतु कहा लेकिन अप्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय हाजा से दुरूस्ती करवानें हेतु कहा इसलिए प्रार्थी कों उक्त प्रार्थना–पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा में रेकार्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड. रहा है। प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम बिरमराम के स्थान दुरस्ती फरमायी जाकर प्रार्थी का नाम भीरमराम दर्ज/इन्द्राज किया जानें का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किय गये। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में पेश रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम साथीन चक I के खसरा संख्या 163 व साथीन चक II के खसरा संख्या 297, 334, 1643, 2023, 2066, 2076, 858, 864 में प्रार्थी का नाम बिरमराम के स्थान पर भीरमराम किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पक्षकारान् की बहस सुनी, वकील प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम साथीन चक I के खसरा संख्या 163 व साथीन चक II के खसरा संख्या 297, 334, 1643, 2023, 2066, 2076, 858, 864 में प्रार्थी का नाम बिरमराम के स्थान पर भीरमराम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन एवं बहस पक्षकारान पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम साथीन चक I के खसरा संख्या 163 व साथीन चक II के खसरा संख्या 297, 334, 1643, 2023, 2066, 2076, 858, 864 में प्रार्थी का नाम बिरमराम के स्थान पर भीरमराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर अमलदरामद की कार्यवाही करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 17/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर